न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–184/2026
(CNR No.UPBH010003872026)

हनीफ आयु करीब 70 साल पुत्र स्व० रहमत अली, निवासी–फखरपुर(गौढ़ी), थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच––– –––आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

राज्य उ०प्र० जरिये डी०जी०सी०(फौजदारी), बहराइच––– –––अभियोगी।

अपराध संख्या–339/2024,
धारा–420 भा०द०सं०,
थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच।
–––

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

10.03.2026

थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच के अपराध सं०–339/2024, अन्तर्गत धारा–420 भा०द०सं० के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त हनीफ की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र के साथ जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि भूमि गाटा संख्या–3 मि० क्षेत्रफल 0.0080 हे० स्थित ग्राम परसरामपुर राजस्व अभिलेखों में विपक्षी सं०–2 आरिफ बेग व उसके भाईयों के नाम अंकित है। विपक्षी सं०–1 मो० हनीफ ने उक्त तथ्य छिपाकर अपने को तनहा मालिक होना दर्शाकर मात्र चौहद्दी देकर उक्त का विक्रयपत्र दिनांक–25.10.2016 को मो० हनीफ को निष्पादित कर दिया। विपक्षीगण कस्बा फखरपुर व उसके पास के गांव परसरामपुर के रहने वाले हैं, जबकि वादिनी श्रीमती यासमीन ग्राम बभनडीहा की रहने वाली है। विपक्षीगण ने आपस में साज करके वादिनी के धन की ठगी करने के कुत्सित उद्देश्य से भूमि उपरोक्त का तनहा मालिक विपक्षी सं०–1 मो० हनीफ को बताकर वादिनी से उक्त भूमि को खरीदने का आग्रह किया और 1,20,000/–रुपये में सौदा तय हो गया। वादिनी ने 70,000/–रुपया नकद तथा 50,000/–रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया तथा विपक्षी सं०–1 मो० हनीफ ने दिनांक–17.01.2022 को वादिनी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करके उसका पंजीकरण करवा दिया। वादिनी जब निर्माण कराने के उद्देश्य से उपरोक्त भूमि पर नींव खोदवाने लगी, तो विपक्षी सं०–2 आरिफ बेग के भाईयों ने अपना भी अंश बताया और खतौनी दिखाई, तब वादिनी ने विपक्षीगण को बुलाया, किन्तु विपक्षीगण नहीं आये, तब उसने थाने पर प्रार्थना–पत्र दिया, जिस पर विपक्षी सं०–1 मो० हनीफ दिनांक–15.09.2022 तक 1,20,000/–रुपया वापस देने पर सहमत हुआ और सुलह भी लिख दिया, किन्तु पैसा वापस नहीं दिया। विपक्षीगण ने आपस में षड्यंत्र, जाल,

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:19:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फरेब करके वादिनी के साथ विश्वासघात व धन की ठगी किया है तथा जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं।

वादिनी द्वारा न्यायालय में दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० में न्यायालय के आदेशानुसार दिनाँक–08.09.2024 को समय 21:34 बजे आवेदक/अभियुक्त मो० हनीफ व सह–अभियुक्तगण आरिफ बेग, मो० अहमद के विरुद्ध अपराध सं०–339/2024, अन्तर्गत धारा–419, 420, 406, 506 भा०द०सं० के अपराध में थाना–फखरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले में नामित अभियुक्तगण आरिफ बेग व मो० अहमद का नाम एवं धारा–419, 406, 506 भा०द०स० का विलोपन किया गया। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा–420 भा०द०सं० में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि वादिनी मुकदमा ने उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूंठे व फर्जी आरोप लगाये हैं। वादिनी ने बैनामे में 20,000/–रुपया नकद व 50,000/–रुपये चेक कुल 70,000/–रुपये प्रतिफल का उल्लेख है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बैनामे की प्रतिफल धनराशि 1,20,000/–रुपये कहा है, जो मिथ्या व झूंठी है। इस प्रकार वादिनी के मुकदमे की घटना गलत है तथा उसका रुपया 50,000/–हड़प करने की नीयत से लिखाया गया है। उसका बकाया 50,000/–रुपया वादिनी के न दिये जाने पर उसने दिनांक–08.07.2022 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० विरुद्ध वादिनी मुकदमा व आरिफ न्यायालय जे०एम०, बहराइच के यहां दायर किया था। उसी मुकदमे से बचने के लिये वादिनी ने झूंठे व फर्जी तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध उक्त मुकदमा लिखाकर उसे गलत तरीके से फंसाया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वादिनी द्वारा उसके साथ धोखा, फ्राड करके फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि भूमि गाटा संख्या–3 मि० क्षेत्रफल 0.0080 हे० स्थित ग्राम परसरामपुर राजस्व अभिलेखों में आरिफ बेग व उसके भाईयों के नाम अंकित हैं। आवेदक/अभियुक्त मो० हनीफ ने उक्त तथ्य छिपाकर अपने को तनहा मालिक होना दर्शाकर मात्र चौहद्दी देकर उक्त भूमि का विक्रयपत्र दिनांक–25.10.2016 को अपने हक में निष्पादित करा लिया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त शातिर, फ्राड किस्म का व्यक्ति है। मामले में साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। आवेदक/अभियुक्त लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर–जमानती अधिपत्र निर्गत किया गया। यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह वादी व अन्य गवाहान को धमकायेगा और समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, जिससे मुकदमे के विचारण व निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के

विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली एवं उपलब्ध सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द०प्र०सं० में न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत कराई गई है, जिसमें आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसने भूमि गाटा संख्या–3 मि० क्षेत्रफल 0.0080 हे०, जो राजस्व अभिलेखों में आरिफ बेग व उसके भाईयों के नाम अंकित है, का तनहा मालिक होना दर्शाकर मात्र चौहद्दी देकर उक्त भूमि का विक्रयपत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया और छल, कपट से वादिनी को उक्त भूमि का विक्रय उसके पक्ष में करने हेतु उससे 70,000/–रुपये नगद व 50,000/–रुपये जरिये चेक प्राप्त कर वादिनी के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित कर दिया। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। पत्रावली के साथ विक्रय विलेख दिनांकित–25.10.2016 की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसमें 72.50 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा आरिफ द्वारा आवेदक/अभियुक्त को किया गया है। पत्रावली में एक अन्य पंजीकृत विक्रय विलेख संलग्न है, जिसमें 72.50 वर्ग मीटर भूमि का ही बैनामा आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी यासमीन के पक्ष में दिनांक–17.01.2022 को किया जाना प्रकट होता है। उक्त दोनों बैनामों की चौहद्दी समान है। दौरान विवेचना धारा–35(3) बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग न किये जाने का कोई कथन अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त हनीफ की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जावेः–

i. आवेदक/अभियुक्त मामले की सुनवाई हेतु नियत प्रत्येक तिथिपर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
ii. आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथियों में साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
iii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
iv. आवेदक/अभियुक्त धारा–313 द०प्र०सं०(351 बी०एन०एस०एस०) के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त

नहीं रहेगा।

v. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vi. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का अभियुक्त पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनाँकः–10.03.2026 I.D. UP–2017